The Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024
and The Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024- as introduced

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker Sir, with your permission**,** I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

and

Hon. Speaker Sir, with your permission**,** I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ?

और

?कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा ।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): A Constitutional Amendment Bill, which is changing drastically the electoral process of our country, has to be introduced separately. That introduction has to be discussed, and then the House has to take the other Bill. Otherwise, it will be not fair as far as Constitutional Amendment is concerned.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि आप दोनों विषयों पर एक साथ बोलेंगे । लेकिन इसका इंट्रोडक्शन भी अलग-अलग होगा और पासिंग भी अलग-अलग होगी मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि आप दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें । मैंने अलग-अलग पेश करने के लिए बोला है और माननीय मंत्री जी ने भी अलग-अलग पेश किया है । लेकिन इस पर चर्चा करते समय मैंने जॉइंट करने के लिए कहा है ।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Thank you very much Mr. Speaker, Sir.

I rise to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024.

Mr. Speaker, Sir, beyond the Seventh Schedule of the Constitution is the basic structure doctrine and that basic structure doctrine spells out certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy and, therefore, the Bills, which have been moved by the hon. Minister of Law and Justice, absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative

competence of this House and, therefore, they need to be opposed *ab-initio* and the introduction of those Bills have to be stopped.

Number two, Mr. Speaker, Sir, how is it possible under our Constitutional scheme that the tenures of the State Legislatures can be made subject to the tenure of the National Legislature? That is completely anti-thesis of the Constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian Constitutional scheme where the States are separate constituents and equal constituents, the term of State Legislatures can be made subject to the term of the National Legislature. And my final point Mr. Speaker, Sir, India is a Union of States. Article 1 of the Constitution states that India is a Union of States and not vice-versa. Therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this Bill, absolutely militates against the Constitutional scheme in its essence, in its entirety and in its very object. Therefore, Mr. Speaker, Sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the Bill and the consideration of the Bill - because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Keshavananda Bharti case - is beyond the legislative competence of this House and, therefore, this Bill needs to be withdrawn immediately.

Thank you, Mr. Speaker, Sir.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी दो दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखीं । दो ही दिन के अंदर, संविधान की हमारी जो मूल

भावना है, दो ही दिन के अंदर, हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दो ही दिन के अंदर, हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं ।

मैं मनीश तिवारी जी से सहमत हूँ । मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह बिल देश की जो अलग-अलग वेश, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-विचार करके, मंथन-अध्ययन करके यह संघीय ढाँचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से एवं परिस्थितियों और समय के हिसाब से किया था । मैं यह नहीं समझता, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से ज्यादा विद्वान इस सदन में भी अभी कोई नहीं बैठा है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है । संविधान की मूल भावना को खत्म करके, कैसे ...* के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है । जैसा कि मनीश तिवारी जी ने कहा, अगर किसी विधान सभा के चुनाव में अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या आप पूरे देश का चुनाव कराएंगे? ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं, जो आठ विधान सभाओं के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाते हैं । ? (व्यवधान) आप मौसम देखकर तारीखें बदलते हैं । ? (व्यवधान) वे लोग बात करते हैं- एक देश, एक चुनाव की ।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूँ । मैं आपके माध्यम से, देश के जन-मानस से कहना चाहता हूँ कि ये ... * लाने के नित नये रास्ते लाते हैं । जो आठ विधान सभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वे पूरे देश की लोक सभा और सारे प्रांतों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी बातों का रिपीटिशन न करें ।

श्री धर्मेन्द्र यादव : मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक प्रांत के अन्दर सरकार गिरती है, तो क्या पूरे देश की लोक सभा के चुनाव कराएंगे? ? (व्यवधान) लोक सभा के चुनाव के चक्कर में, उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? ? (व्यवधान) आप चर्चा कर लेना । ? (व्यवधान) आपके पास कुछ नहीं बचा है । ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा-सा सिस्टम में लाएं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान विरोधी, संघीय ढाँचा विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, यहाँ पर मनीश तिवारी जी ने कई केसेज की चर्चा की, मैं खुद को उनके साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो । ? (व्यवधान) यह मेरी प्रार्थना है । ? (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसद के अन्दर हर विषय की अलग-अलग प्रक्रिया होती है । जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो उस पर बोलने की प्रक्रिया अलग होती है, संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर जो चर्चा हुई, उस पर बोलने की प्रक्रिया अलग होती है, आप जिस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वह नियम 72 के तहत है । इसलिए मेरा आप सब से आग्रह है कि नियम 72 के परिप्रेक्ष्य में, हम संसद की मर्यादा, परम्परा और उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आग्रह है ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरा एक भी शब्द अमर्यादित हो, तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दें । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से बीच में नहीं बोलते हैं । प्लीज, बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने यह किसी को नहीं कहा कि मर्यादित या अमर्यादित बोला गया । मैंने कहा कि नियम 72 के परिप्रेक्ष्य में आपको बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है । वह भी विधेयक की विधायी क्षमता या लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस के विषय पर है । चूंकि विषय गम्भीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि नियम के परिप्रेक्ष्य के अन्दर आप अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप आप अपनी बात कहें । मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूँगा । लेकिन जब बिल पर डिटेल्ड चर्चा होगी, तो आप जो भाषा बोल रहे हैं, उसे आपको बोलने का अधिकार रहेगा । सभी इस बात से सहमत हैं?

हम आपको बोलने का मौका देंगे । आप दोनों में से तय कर लें कि कौन बोलेंगे । चलिए, मैं आप दोनों को दो-दो मिनट का समय देता हूं ।

श्री कल्याण बनर्जी जी ? पहले आप बोल लें ।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, under our Constitutional scheme, the basic structure of the Constitution is read in between the lines. This proposed Bill hits the basic structure of the Constitution itself. If any Bill or any Act which hits the basic structure of the Constitution, then that is *ultra vires*.

Sir, the proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. It is just contrary. Either you keep Article

83(2) or 83(5). Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other.

Then, the effect of the proposed Article 82A sub-Article 3 establishes that the tenure of a State Legislative Assembly depends upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. The doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But the mandate given by the people of the country to the State Assemblies cannot depend upon the doctrine of pleasure of this House. How can it be? This is inconsistent. It cannot be accepted.

We must remember that the State Governments and the State Legislative Assemblies are not subordinate to the Central Government or to the Parliament itself. This Parliament is having the power to legislate law under the Seventh Schedule, List-1 and List-3. Similarly, the State Legislative Assembly is having the power to legislate law under the Seventh Schedule, List-2 and also List-3. Subject to that, it would not be contrary. So far as Concurrent List is concerned, it would not be contrary to Article 254 of the Constitution. Therefore, the autonomy of the State Legislative Assemblies is being taken away through this process. That is *ultra vires*. That hits the basic structure of the Constitution.

Sir, now I come to Article 82A sub-Article 5. Unfortunately, I cannot think about it. Really, I cannot think that Article 82A sub-Article 5 is giving an uncanalised power to the Election Commission of India. We do not have any value. Will the Election Commission of India decide everything? A party cannot remain

the ruling party till doomsday. One day, it will be changed. .... *(Interruptions)*

Sir, why a law to provide State funding to conduct elections is not brought? Every problem will be resolved. Then, you can conduct elections. How much money is being spent? All elections should be conducted through the State Election Fund. Why are we not bringing that law? That will bring the real election reforms. This is not an election reform. *....(Interruptions)* Sir, I have not finished yet. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, जब बिल पर डिबेट होगी, तब मैं आपको पूरा समय दूंगा ।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, it is not the election reforms. It is just the fulfilment of one gentleman?s desire. This is nothing more than that. *....(Interruptions)* No, it is not permitted *....(Interruptions)*

Sir, we have heard the speech of the hon. Prime Minister regarding the First Amendment to the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar said, ?We are giving a draft Constitution to the country, and the country will make the amendments.? Pandit Jawaharlal Nehru had not brought any amendment to the Constitution which had really hit the basic structure. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : सर, प्लीज आधे मिनट का समय दीजिए । आप इतना रूठा मत कीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: This is not done.

This Government had brought an amendment to the Constitution, that is, the National Judicial Appointments Commission Bill. It was passed. It was struck down by the Supreme Court because it hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments they have brought.

We are opposing the introduction of this Bill. At the same, I would request that at the time of voting, kindly take a division. We want to oppose it and we will show our strength.

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप बोलेंगे या कनिमोझी जी बोलेंगी । आप डिसाइड कर लीजिए ।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : अध्यक्ष जी, आपके पास नोटिस गया होगा कि कौन बोलेगा । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है । बालू जी को बोलने की इजाजत दी है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपका नोटिस है । आपको बोलने का समय देंगे, लेकिन अभी बालू जी को बोलने की इजाजत दी है ।

? (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, regarding the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, my leader Mr. M.K. Stalin has said and I quote:

?It is anti-federal and impractical. It will push the country into the perils of a unitary form of governance, killing its diversity and democracy in the process.?

Sir, I want to know how you could allow this Bill ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आपका नोटिस है, आपको बोलने का समय देंगे । आप बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, when the Government is not having two-third majority, how could you allow this piece of legislation in this House? I want to know this. It needs two-third majority.

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, अभी प्रस्ताव रखा गया है । मैं एलाऊ नहीं करता हूं, संसद एलाऊ करती है ।

SHRI T. R. BAALU : Sir, the electors have the right to elect a Government for five years and the same cannot be curtailed by way of holding simultaneous elections.

The simultaneous elections would incur an additional cost of Rs. 13,981 crore. In addition, Rs. 9,284 crore will be required for the procurement of EVM-VVPATs to meet the requirement of simultaneous elections.

The Parliamentary Standing Committee in its 79th Report in 2015 had concluded and I quote:

?Gaining consensus of all the political parties may be difficult, and holding simultaneous election may not be feasible.?

Sir, with these words, I want to conclude. At the same time, I request the Government to take the matter to the JPC so that it can be discussed there. Thereafter, the Bill may be brought to the House.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : आप लोग निश्चिंत रहें । मैं सभी को बोलने का अवसर दूंगा । जिसका नोटिस नहीं भी है, उसे भी बोलने का समय देंगे ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I will speak later. First, he will speak. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप आपस में डिसाइड कर लीजिए कि कौन बोलेगा । केवल एक सदस्य को मौका मिलेगा ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA?s One Nation, One Election Bill. ?(*Interruptions*) Sir, our party?s guiding force, Shri Nara Chandrababu Naidu ? (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष जी, हाउस नियम से चलना चाहिए । यह गलत है । हम अपोज कर रहे हैं । अभी रूल 72 के तहत चर्चा हो रही है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाएं । रूल 72 के तहत चर्चा हो रही है, लेकिन वक्फ कमेटी के समय भी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ बोलिए ।

? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू में ही हाउस की ?सेंस? लेकर बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा और उसका उदाहरण भी आपने दिया। दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा के समय उस पर एक साथ चर्चा करेंगे, पर उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा । चूंकि एक पार्टी से कई नोटिसेज़ आए हैं और किसी पार्टी से कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन यह विषय गम्भीर है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को इस पर अपने-अपने मत रखने का मौका देंगे । ? (व्यवधान) यह माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है । ? (व्यवधान) ? ऑल द फ्लोर लीडर्स? का मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से है । ? (व्यवधान) सिर्फ आप लोग ही इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए । ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष जी, आप निष्पक्ष रहिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप लोग बैठिए । मैं आप लोगों को बोलने की अनुमति दूंगा । अभी मैं इस पर रूलिंग दे रहा हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग रूल्स की किताब लेकर बैठे हैं, मैं भी रूल्स की किताब लेकर बैठा हूं । अभी मैं इस विषय पर रूलिंग देता हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I express my very strong opposition for the introduction of this Bill because of some pertinent reasons.

This is really an attack on democracy, the Constitution, and the federalism of India. If this amendment Bill is implemented,

some States will have tenure for even less than three years, which is against the vision mandated for the voters of this country. If this proposed Bill is implemented in this way, the significance of local issues will be undermined. That is another thing I want to point out. It is because of this pertinent reason I vehemently oppose this.

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Speaker Sir.

Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill. The Republic of India is a Union of States. By considering this Bill, it will be a direct attack on federalism and it will be, sort of, undermining the entity of States. The basic idea of introducing the Bill is that expenditure goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously but in different phases. Another reason which is being given is that the Model Code of Conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the States, and that affects the country as a whole.

Sir, here my basic opposition, as I said, is that the legislative competence of the States should not be undermined. It is federalism which is being practiced, and that is the reason why I am opposing this. I would say only one thing. The Election Commission of India?s competence itself should be checked. The Election Commissioners should come by way of elections. They should go through the election process and get elected by the people because of what we have witnessed during the last two to three years. The decision which was given by the Election Commission in the State of Maharashtra is not accepted

according to the democratic principles enshrined in the Constitution. So, I oppose this Bill.

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी के बोलने के बाद मैं रूलिंग दूंगा । पहले गौरव गोगोई जी बोल लें ।

? (व्यवधान)

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, ये जो दो कानून हैं - the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, and the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने की जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उन पर आक्रमण है और हम इसका पुरज़ोर विरोध करते हैं । विरोध का आधार यह है कि सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहां पर ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है । इससे पहले कभी चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाई है । चुनाव आयोग की क्या सीमाएं है, यह आर्टिकल 324 में है । जहां पर इलेक्शन कमीशन को कैसे सुपरवाइज़ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, बस वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं की सीमा बनायी गई है । लेकिन इस संविधान संशोधन ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक, गैर कानूनी ताकत दी है । राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं । वे कभी भी चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं । यह एक गैर संवैधानिक ढांचा इन्होंने बनाया है । राष्ट्रपति जी काउंसिल ऑफ मिनस्टिर्स की एडवाइज़ लेते हैं, जो आर्टिकल 74, भारत के संविधान में है या आर्टिकल 356 ऑफ कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वे सिर्फ गवर्नर के रिक्मेंडेशन पर ले सकते हैं । ये पहली बार ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग की रिक्मेंडेशन पर एक निर्णय ले

सकते हैं । हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं । चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाए जाते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे । दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्ज़िक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है । आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वे अपने सुप्रिटेंडेंट से एक नए आर्टिकल 82(a) के द्वारा अब वे विधान सभाओं को भंग कर सकते हैं । यह एक्सेसिव पॉवर चुनाव आयोग को इस बिल में भी दी गयी है और राष्ट्रपति जी को भी दी गयी है । यहां पर यह मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का जो खर्च है, वह कम करना चाहते हैं । चुनाव आयोग ने खुद कबूल किया है कि वर्ष 2014 के चुनावों में कितना पैसा खर्च हुआ ? लगभग 3,700 करोड़ रुपये खर्च हुए । इन 3,700 करोड़ रुपये के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं । यह पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है । हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और आर्टिकल-14 एक नागरिक को वोट देने का अधिकार देते हैं । वह जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो फाइव ईयर टर्म है, आर्टिकल 83(2) में, हाऊस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो फाइफ ईयर टर्म है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह नीति आयोग की एक गलत रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहते हैं कि फाइव ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है । फाइव ईयर टर्म अनिवार्य है । ? (व्यवधान) वे नीति आयोग की रिपोर्ट में नहीं जाए । नीति आयोग कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, जो इस प्रकार का परामर्श दे । ? (व्यवधान)

मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार से पूरे भारत के चुनाव को ...* तो हम यह ...* नहीं होने देंगे । ? (व्यवधान) हम इस बिल का विरोध करते हैं । इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने कहा है कि आप संक्षेप में अपनी बात रखें । चाहे कोई भी दल हो, वह संक्षेप में अपनी बात रखे । इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए । आप सब ने नोटिस दिया है । नोटिस पर

सबका अधिकार बनता है । मैंने आपको एक व्यवस्था दे दी है । पूर्व में भी यह व्यवस्था थी । मैंने आपको बता दिया है कि पूर्व में भी यह व्यवस्था व परंपरा रही है । मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि यह कब-कब हुआ है । आप चाहें तो इसे दोबारा निकाल सकते हैं । एक दल से एक ही व्यक्ति बोले और संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, क्या आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया है? आप एक मिनट के लिए चुप रहिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात कह दें ।

? (व्यवधान)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's ?One Nation, One Election Bill?.

Sir, our Party's guiding force, Shri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas, and is well recognized and respected as a visionary leader. The Telugu Desam Party is deeply committed to nation-building initiatives, such as ?Viksit Bharat 2047?, and aims to align them with ?Viksit Andhra 2047?, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development.

There are several advantages of ?One Nation, One Election?, but I would like to quote four. The first advantage is reduced expenditure and logistical efficiency.? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप संक्षेप में अपना पक्ष रख दें ।

? (व्यवधान)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Although the official figures for the 2019 Lok Sabha Elections vary, news reports estimate that the Election Commission of India had spent more than Rs. 6,000 crore. In 2024, the estimated expenditure was more than Rs. 10,000 crore.? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ओके, माननीय मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, please give me two minutes.? (*Interruptions*) The Law Commission?s draft report of 2018 and NITI Aayog?s report of 2017 estimate that if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40 per cent. If the elections are held simultaneously, the voter turn-out would be increased up to seven per cent.? (*Interruptions*) The total estimate of all the parties that spend on these elections is close to Rs. 1 lakh crore. Therefore, if the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both the Election Commission of India and for the regional parties. There would be continuity in governance.? (*Interruptions*) In the last six months, elections were held for three State Assemblies. So, how can the machinery continue to operate if the elections are held continuously?? (*Interruptions*)

The fourth advantage and probably the most important, is that, in this era, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects.?

(*Interruptions*) This constant political messaging encourages deep polarization.? (*Interruptions*)

Sir, I support the Bill. Thank you!

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Speaker, Sir, I rise to oppose this draconian, unconstitutional Bill. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको ओवैसी जी के बाद मौका देंगे ।

? (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: This Bill violates the right to democratic self-governance which is part of Articles 14 and 19. If a Legislative Assembly is dissolved and mid-term elections are conducted, the tenure of that Assembly will not be for five years. This in itself is a violation of Parliamentary democracy which envisages a tenured legislature.

The Constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next five years. This is violation of the basic structure that such a provision is being done for administrative convenience, not for Constitutional purpose. The principle of federalism means that the States are not mere appendages of the Centre. States are not dependent on the Union for their existence. This is a violation of federalism.

In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates the Fundamental Rights or the basic structure of the Constitution. This Bill indirectly introduces a Presidential style of democracy. This Bill is based on maximising political gain and convenience. This Bill will finish off the regional parties. This Bill

is only brought in to massage the ego of the supreme leader. I oppose this Bill.Thank you, Sir.

श्री अमरा राम (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जो संविधान (129वां संशोधन) विधेयक लाए हैं, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि यह बिल संविधान और जनतंत्र को खत्म करके.. की ओर बढ़ने का नाम है । इससे ज्यादा यह कुछ नहीं है । आप खर्च की बात करते हैं । जिसको चुने हुए एक साल होंगे, उसके चार साल में जनतंत्र की हत्या करने का काम यह संविधान संशोधन बिल करेगा। लोकल बॉडी, पंचायत और नगरपालिकाएं, जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, उनको भी आप लेना चाहते हैं । आप इन्हें इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारा ही शासन चलेगा । देश के हर राज्य की जो भिन्न-भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उनके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उन राज्यों को बनाया है, उनकी विधान सभाएं बनाई हैं, उनके अधिकार हैं । वे सब अधिकार आप इस बिल के माध्यम से यहां लेना चाहते हैं। केवल और केवल इसलिए कि ... और ताकत आप लेना चाहते हैं । ? (व्यवधान) मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूं । मान लीजिए कि डीरेल हो गया, कोई फाल्ट हो गया, अगर दो साल बाद सरकार गिर गई, तो तीन साल के लिए चुनाव होंगे, एक साल बच गया तो एक साल के लिए चुनाव होंगे।

माननीय अध्यक्ष : जब डिटेल में चर्चा करेंगे तब बात कर लेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री अमरा राम: ? (व्यवधान) संविधान पर आपने चर्चा कराई और आज दो दिन बाद उसी संविधान को तहस-नहस करने के लिए आप बिल लेकर आए हैं । हमारी पार्टी इसका विरोध करती है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. On behalf of the Nationalist Congress Party (SP), I oppose the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill. Clearly, most of my colleagues have made three most important points that this is

completely against federalism and the Constitution of India. The Centre and the States have their own tenures and terms. So, I think, to mix the two is not fair. Just last week, we debated Article 356. In the case of S.R. Bommai *versus* Union of India, dissolving of Assemblies was something which both sides have objected and both sides have done it. So, if we object to it, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve Assemblies which are elected for five years? So, I think to break these tenures is completely objectionable. India is a Union of States. Cooperative federalism is something which we are so proud of.

So, I request the Government of India either to withdraw the Bill or send it to a Joint Parliamentary Committee so that we have a detailed discussion. We will be happy to support as long as it comes before a Joint Parliament Committee. Thank you, Sir.? (interruptions)

माननीय अध्यक्ष: श्रीकांत जी, आप संक्षिप्त में बोलिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसे जेपीसी को दे देना चाहिए । जब संविधान संशोधन कैबिनेट में चर्चा के लिए आया तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त की थी कि इसे जेपीसी को देना चाहिए । इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए । ? (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस पर सदन का ज्यादा समय जाया किये बगैर अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसे जेपीसी को सौंपने के लिए तैयार हैं तो जेपीसी

में चर्चा हो जाएगी । जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसे पारित करेगी फिर इस पर चर्चा होनी ही है । मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में इसे देने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर यह चीज समाप्त हो जाएगी । ? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष, यहां जो चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद नियम 74 में मैं एप्रोप्रिएट मोशन लाकर जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा । रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बोलने का मौका दूंगा लेकिन आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीकांत शिंदे जी ।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129वां संविधान संशोधन विधेयक और यूनियन टेरिटरीज़ लॉज़ अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । ? (व्यवधान) विपक्ष वाले छ: महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश कर रहे हैं । ? (व्यवधान) यहां जब रिफार्म शब्द आता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को रिफार्म शब्द से ही एलर्जी है । ? (व्यवधान) यहां सब लोग संविधान की बात कर रहे हैं । ? (व्यवधान) यहां पर हर एक व्यक्ति रुक कर संविधान समझा रहा है । ? (व्यवधान) मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं वर्ष 1975 से शुरू करता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका विषय क्या है?

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलैक्शन मैलप्रक्टिस यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिल्टी पाया और छः साल के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया । ? (व्यवधान) उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ, यह पूरा देश जानता है । ? (व्यवधान) सिर्फ तीन दिन में 39वां संशोधन संशोधन लाकर प्रधान मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को ज्यूडिशियल रीव्यू से बाहर कर दिया । ? (व्यवधान) यह इनका संविधान है । ? (व्यवधान) ये फेडरलिज्म की बात करते हैं ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I have a point of order. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं ।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्वाइंट्स में समझाना चाहूंगा कि यह बिल क्यों जरूरी है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सब समझ गए ।

एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : कोविंद समिति गठित हुई, उन्होंने वाइड पब्लिक कन्सलटेशन किया । 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की । ? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for affording me this opportunity to speak on the introduction of the Bill. ? (*Interruptions*) Mr. Speaker, Sir, thank you very much for affording me this opportunity to oppose the introduction of the Bill. ? (*Interruptions*)

Sir, on behalf of my Party ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : कोविंद समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने वाइड पब्लिक कन्सलटेशन किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलैक्शन का समर्थन किया । यह दिखाता है कि देश के अधिकांश राजनीतिक दल इस सुधार को आवश्यक मानते हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एन.के. प्रेमचन्दन जी ।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, on behalf of my Revolutionary Socialist Party (RSP), I vehemently oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill on three grounds. I will confine to the legislative competence points. I fully associate with the observations made by Shri Manish Tewari. He has made it very crisply and in a very good sense. I fully associate with the submissions made by Shri Manish Tewari Ji. I have three grounds.

Number one, it attacks the basic root of federalism of the Constitution. Number two, the provisions of the Bill are uncertain

and not clear regarding the conduct of elections to the Legislative Assemblies subsequent to the notification making the appointed date.

The third one is that the Statement of Objects and Reasons are not satisfying the contents of the Bill. One more thing is there. That is Article 368. I will elucidate it further.

I will speak fully within the scope. There are drastic structural changes made in the electoral process of the Legislative Assemblies. All the States should have been properly consulted before bringing this legislation. I fully agree with the other learned Members who already cited by virtue of this Bill, if If it is made a law, definitely, the State Legislative Assemblies and the States will become the subordinates to the House of the People and to the Union Government. That is essentially against the basic principles of the federal character.

Sir, see, Article 368. I do agree with the Government. Article 368 does not expressly mention about the Legislatures? consent that is more than half of the Legislative Assemblies? concurrence regarding this provision but I would like to quote a case that is Kihoto Hollohon vs. Zachillhu in 1993. The 52nd Amendment was challenged. The validity of the 52nd Amendment was challenged in the Supreme Court. And the Supreme Court has struck down two paragraphs of this Act passed by the Parliament 52nd Amendment only because of a very technical point. Though there is no explicit provision in Article 368 to have the consent of more than half of the Legislatures, even then the hon. Supreme Court

has struck down two paragraphs of 52nd Amendment Bill which is included in the 10th Schedule ? disqualification of Members due to defection by virtue of Anti-defection law. So, Sir, the States have to be properly consulted. Federal character is there.

The next ground is practicality. I would like to know this from the hon. Home Minister. You are proposing to have the appointed date on 2029. See the problem. After 2029, about 17 State Assembly elections have to take place. There is nothing in the Bill regarding the tenure of the Legislative Assemblies subsequent to the appointed date by the notification. Nothing is clear.

So, I urge upon the Government to withdraw the Bill.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पहले भी सारी व्यवस्था दे चुका हूं और आप सबको पुरानी परम्परा के बारे में बता चुका हूं । अब माननीय मंत्री जी ने भी यह बता दिया है कि इसके लिए जेपीसी गठित होगी । ऐसा माननीय मंत्री जी ने कह दिया है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और उसमें सभी दल के सदस्य होंगे । उसमें डिटेल चर्चा होगी । उसके बाद

जब बिल आएगा, उस समय आप जितना समय चाहेंगे, उतना समय व्यापक चर्चा के लिए दिया जाएगा । आपको पूरा समय दिया जाएगा । सभी दलों के सदस्यों को समय दिया जाएगा ।

? (व्यवधान)

–

13.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : यह मैं आपसे कह सकता हूं कि जब उस समय यह बिल आएगा, तब डिटेल में चर्चा होगी । सभी माननीय सदस्य, आप जितने दिन चर्चा चाहेंगे, आपको उतने दिनों तक चर्चा करने का समय दिया जाएगा । अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें । मैं सबको बोलने का मौका दूंगा ।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पर अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है । मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पर ही रखना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यों द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 72 में जो वर्णित है ? ?विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध होने पर प्रक्रिया के तहत? जो आपत्तियां उठाई गई हैं, मैं इस माननीय सदन में उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

महोदय, एक विषय आया कि यह अनुच्छेद 368 का उल्लंघन करता है । संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है । ऐसा तो नहीं है, संविधान में ही अनुच्छेद 368 लिखा हुआ है । ?(व्यवधान)

उसके बाद एक विषय आया कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है, यह सदन को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है, यह संसद को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है । इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधान मंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है । It is a Constitutional provision. ? (*Interruptions*)

महोदय, मैं वही बता रहा हूं । किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यानी इसमें सभी मामले शामिल हैं । एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं । ?(व्यवधान) इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है ।

राज्य सरकारों की स्वायत्ता (आटोनॉमी) नामक विषय भी आया है । संविधान की 7वीं अनुसूची की यूनियन लिस्ट की इंट्री नंबर 72 में लिखा हुआ है कि election to Parliament, to the Legislature of States, and to the Offices of President and Vice-President, the Election Commission, उसके अनुसार केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है । जो यूनियन लिस्ट है, उसकी एंट्री 72 में लिखा हुआ है । यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है । यह जो संशोधन है, हम एकदम संविधान सम्मत लेकर आए हैं ।

अब बेसिक स्ट्रक्चर नामक विषय आया है । मैं बेसिक स्ट्रक्चर पर दो मिनट बोलना चाहता हूं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में सन् 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है । उसमें उन्होंने 5-7 बिंदु तय किए हैं । उसके बाद और मामलों में भी कुछ विषय जोड़े हैं, like Judicial Review, federal character of the Constitution, separation of power between Legislature, Executive, and Judiciary; secular character of the Constitution; and supremacy of the Constitution, ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहे हैं । इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है । बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है । ?(व्यवधान)

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ-साथ वामन राव केस और एल. चंद्र कुमार केस में भी कुछ और विषय जोड़े हैं, लेकिन इससे न तो संसद की शक्ति में कोई कमी आ रही है और न ही विधान सभा को जो शक्ति दी है, उसमें कमी आ रही है । ?(व्यवधान)

यहां बाबा साहेब का जिक्र आया और बाबा साहेब के क्वोट का भी जिक्र आया । अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि 4 नंवबर 1948, संविधान सभा में? (व्यवधान) देखिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुझे यह अवसर दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री थे और जिस वर्ग से बाबा साहेब आते थे, उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं । नरेन्द्र मोदी जी ने यह मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया है । मैं यह बात सदन में रख रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान ? (व्यवधान) You have already raised your objections. *.... (Interruptions)* Now, you have to listen to me. *....(Interruptions).* संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर, 1948 को बाबा साहेब ने कहा कहा था । ? (व्यवधान) यह बाबा साहेब का क्वोट है, अनक्वोट नहीं है । संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केन्द्र और राज्यों के बीच केन्द्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा ही बटी होती है । यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कन्करेंट लिस्ट में से किसी भी

सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं । हम संघवाद पर कैसे चोट कर रहे हैं? हम कोई चोट नहीं कर रहे हैं ।

दूसरी बात बाबा साहेब ने कही थी कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है । यह बाबा साहेब का क्वोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है । फेडरेशन एक संघ है और उसका स्वरूप अविनाशी है । उसको कोई नहीं बदल सकता है । यह बाबा साहेब ने कहा था । ? (व्यवधान) यह विषय इसमें नहीं है । ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं । संसद को अनुच्छेद 327 के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जैसा मैंने बताया है । हमने जो आर्टिकल जोड़े हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जब बात जेपीसी की आ ही गई है तो जेपीसी में डिटेल्ड चर्चा होगी ।

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ तो बोल दीजिए । इनकी बातों को कुछ तो स्पष्ट कर दें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब उनका वक्तव्य सुनिए ।

? (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चूंकि, आपने अवसर दिया है तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और एचएलसी में जुड़े हुए सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा । उसमें गृह मंत्री जी भी थे । उसमें डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यह अचानक आ गया है ।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया । यह 41

साल से पेंडिंग है । अलग-अलग कमेटीज़ ने भी विचार किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी विचार किया, उसके बाद एचएलसी गठित हुई । ये कह रहे हैं कि दलों से बात नहीं हुई है । 19 जून, वर्ष 2019 को संसद भवन में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी । उसमें सभी लोग थे । ? (व्यवधान) उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया । उसमें 16 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और तीन राजनीतिक दलों ने विरोध किया । इसका मतलब है कि बहुमत हमारे साथ था ।

अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी । आपको याद होगा । प्रधान मंत्री जी ने केवड़िया, गुजरात में 26 नवंबर, 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव करने की बात रखी थी और आपने उसको डिस्कस किया । सारे स्टेट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उससे सहमत थे और आप भी सहमत थे । ? (व्यवधान) स्वीडन, जर्मन, बेल्जियम और कई जगह यह चल भी रहा है । मैं अब जेपीसी पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा । यह मामला 41 साल से पेंडिंग था । मैं अपने नेता नरेन्द्र मोदी जी के बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा । जो मामला 41 साल से पेंडिंग था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने ध्यान दिया, क्या कहा :-

जो निर्णय लेता है सदा देशहित की खातिर जग में

साहस से करता दूर सदा जो बाधा आती मग में,

यह मार्ग है । इलेक्शन का एक प्रोसेस था और 1971 में चक्र टूट गया तो बाधा आ गई ।

जो निर्णय लेता है सदा देशहित की खातिर जग में,

साहस से करता दूर सदा जो बाधा आती मग में,

अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्त्तव्य निभाता है,

जो नेता दूरदर्शी होता है, वही इतिहास बनाता है ।

आज इतिहास बनाने का अवसर आया है । मैं इसे जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं । With these words, I introduce both the Bills listed at item Nos.18 and 19.

श्री कल्याण बनर्जी: सर, हमें डिविजन चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिविजन भी होगा, समय तो आने दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज!

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ?

? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सर, हम डिविजन चाहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, डिविजन ।

लॉबीज़ खाली कर दी जाएं-

अब लॉबीज खाली हो गई हैं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

माननीय सदस्यगण, अगर मतदान होता है तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक मतदान होगा । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी एक बार अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए । देसाई जी, प्लीज बैठ जाइए । आप सब अपनी-अपनी सीट पर विराजिए ।

आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी । चूँकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान हो रहा है। इसलिए माननीय महासचिव जी आपको सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के तहत यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब जाता है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं । महासचिव जी आपको हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में बताएंगे ।

आप पहले महासचिव जी की व्यवस्था को समझ लीजिए । अब आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए ।

महासचिव जी ।

SECRETARY GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says ?Now Division?, the Secretary-General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously.
3. For voting, ?only? after the sound of the gong; repeat only after the sound of the gong, hon. Members may simultaneously press the ?vote secure? button towards the left side of multimedia device on the Headphone plate

and

any one of the following buttons fixed on the right side of the Headphone plate:

Yes : Below Green Colour Sticker

No : Below Red Colour Sticker

Abstain : Below Yellow Colour Sticker

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard.
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i) If buttons are kept pressed before the first gong; or
(ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong.

6. Hon. Members can actually ?see? the final result after a gap of a few seconds after the second gong.
7. Hon. Members can check their vote on individual result display boards installed on either side of hon. Speaker?s Chair, multimedia device and also on the Yes/No/Abstain button, as the case may be.
8. In case vote is not registered or if any Member wishes to change their vote, they may call for voting through slips.

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है:-

प्रत्येक माननीय सदस्य को मत-विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए ।

जब माननीय अध्यक्ष 'अब मत-विभाजन' बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ-साथ गौंग की ध्वनि सुनाई देगी ।

मतदान के लिए "केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही; कृपया ध्यान दें कि केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया

डिवाइस के बाईं ओर लगे "वोट सेक्योर" बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ-साथ दबाएं ।

हाँ	:	हरे रंग के स्टिकर के नीचे
नहीं	:	लाल रंग के स्टिकर के नीचे
मतदान में भाग नहीं लेना	:	पीले रंग के स्टिकर के नीचे

गौंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है ।

माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे:

(1) यदि बटनों को पहली गौंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है; या

(2) दोनों बटनों को दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है ।

6. माननीय सदस्य दूसरी गौंग ध्वनि के कुछ सेकेंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में, "देख" सकते हैं ।

7. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/नहीं/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत की जांच कर सकते हैं ।

8. मत दर्ज नहीं होने की दशा में, अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की माँग कर सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने डीटेल में आपको बताया है । मैं समझता हूं कि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां, आप सभी माननीय सदस्यों को अनुभव हो सकती है । हमारी तरफ से इसके लिए कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है । अगर कोई संशोधन करना होगा, तो हम सब इसमें संशोधन भी करेंगे । अगर किसी माननीय सदस्य को बटन दबाने में

परेशानी होगी, तो हम इस बार व्यक्तिगत रूप से उन्हें पर्ची के लिए भी एलाउ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

?कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । ?

? (व्यवधान)

<u>लोकसभा में मत-विभाजन हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या तरीका है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है । माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं । माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये । एक बार दोबारा करवाएंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं । प्लीज एक बार आप सब बैठिये । आप एक बात सुनिये ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं । मैंने पूर्व में भी कहा था । हम पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं । अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो अपने मत को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हीं को पर्ची दे रहे हैं । सब को नहीं दे रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है, वही पर्ची लें । क्योंकि माननीय सदस्य आप सब विद्वान सदस्य हैं, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज़ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, जब भी वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं । अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है, एबस्ट्रेन में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगे और तब ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें ।

? (व्यवधान)

DIVISION **13.24 hrs**

AYES

Adhikari, Shri Soumendu
Agrawal, Shri Brijmohan
Agrawal, Shri Damodar
*Anand, Shrimati Lovely
Aruna, Shrimati D. K.
*Awasthi, Shri Ramesh
Babu, Shri M. Mallesh

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, शुद्धि के अध्यधीन*,

*Baghel, Prof. S. P. Singh

Balayogi, Shri G. M. Harish

Baluni, Shri Anil

*Bambhaniya, Shrimati Nimuben Jayantibhai

*Baraiya, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh

Barne, Shri Shrirang Appa Chandu

Baruah, Shri Pradan

Basumatary, Shri Joyanta

Behera, Dr. Rabindra Narayan

Bhabhor, Shri Jaswantsinh Sumanbhai

*Bharadwaj, Dr. Rajeev

Bharti, Shri Arun

Bhatt, Shri Ajay

*Bhumare, Shri Sandipanrao Asaram

Bidhuri, Shri Ramvir Singh

Bind, Dr. Vinod Kumar

Bista, Shri Raju

Bommai, Shri Basavaraj

Chahar, Shri Rajkumar

Chandolia, Shri Yogender

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Chandan

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

*Choudhary, Dr. Raj Bhushan

Choudhary, Shri Darshan Singh

Choudhary, Shri Pankaj

मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 263

नहीं: 198

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन

*Choudhary, Shrimati Roopkumari
Chouhan, Shri Shivraj Singh
*Chouhan, Shrimati Anita Nagarsingh
Chowta, Captain Brijesh
Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai
Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji
Dalal, Shri Mukeshkumar Chandrakaant
*Deb, Shri Biplab Kumar
Debbarman, Shrimati Kriti Devi
Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai
Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh
Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna
Devi, Shrimati Annpurna
*Devi, Shrimati Malvika
*Devi, Shrimati Veena
*Devi, Shrimati Vijaylakshmi
Dharmapuri, Shri Arvind
Dhotre, Shri Anup Sanjay
Dubey, Dr. Nishikant
Dubey, Shri Ashish
*Dubey, Shri Vijay Kumar
Dutta, Shri Ranjit
*Firojiya, Shri Anil
Gaddigoudar, Shri Parvatagouda Chandanagouda
Gangwar, Shri Chhatrapal Singh
Gao, Shri Tapir
*Garg, Shri Atul

अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I introduce the Bill.

Gautam, Shri Satish Kumar

Gond, Dr. Anand Kumar

Gopi, Shri Suresh

Govil, Shri Arun

Goyal, Shri Piyush

Gupta, Shri Sudheer

*Gurumoorthy, Shri Maddila

Jadav, Shri Rajpalsinh Mahendrasinh

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaiswal, Shri Manish

*Jangde, Shrimati Kamlesh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Dr. Hemang

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kageri, Shri Vishweshwar Hegde

Kalisetti, Shri Appalanaidu

*Kamait, Shri Dileshwar

Karandlaje, Kumari Shobha

Karjol, Shri Govind Makthappa

Kashyap, Shri Mahesh

Kashyap, Shri Suresh Kumar

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Khandelwal, Shri Praveen

Kishan, Shri Ravindra Shukla Alias Ravi

Kishore, Shri Jugal

Kulaste, Dr. Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Putta Mahesh

Kumar, Shri Sunil

Kumaraswamy, Shri H. D.

Kushwah, Shri Bharat Singh

Lakshminarayana, Shri G.

Lal, Shri Manohar

Lalwani, Shri Shankar

Lodhi, Shri Rahul Singh

*Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Maharaj, Shri Chintamani

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Dulu

*Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

*Majhi, Shri Naba Charan

Majumdar, Dr. Sukanta

Makwana, Shri Dineshbhai

Malhotra, Shri Harsh

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ramprit

Mandaviya, Dr. Mansukh

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Mani, Shri Shashank

Manjhi, Shri Jitan Ram
Manjunath, Dr. C. N.
Mathukumilli, Shri Sribharat
Medhi, Shrimati Bijuli Kalita
Meghwal, Shri Arjun Ram
⁎Mewar, Shrimati Mahima Kumari
Mhaske, Shri Naresh Ganpat
Mishra, Dr. Rajesh
Mishra, Shri Janardan
Mohan, Shri P. C.
Mohol, Shri Murlidhar
*Murmu, Shri Khagen
Nagar, Shri Rodmal
Nagaraju, Shri Bastipati
Nagesh, Shri Godam
Naidu, Shri Kinjarapu Rammohan
Naik, Shri Shripad Yesso
⁎Nayak, Shri Ananta
Oram, Shri Jual
Pal, Shri Krishan
Panda, Shri Baijayant
Pandey, Shri Santosh
*Panigrahi, Shri Sukanta Kumar
Pany, Shri Rudra Narayan
Pardhi, Shrimati Bharti
⁎Parthasarathi, Shri B. K.
Paswan, Shri Chirag
Paswan, Shri Kamlesh
Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Dhaval Laxmanbhai
Patel, Shri Gajendra Singh
Patel, Shri Haribhai
Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai
Patel, Shri Praveen
Patel, Shri Umeshbhai Babubhai
Patel, Shrimati Anupriya
Patil, Shri Gyaneshwar
*Patra, Dr. Sambit
*Paul, Shri Kartick Chandra
Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar
⁎Poojary, Shri Kota Srinivasa
Pradhan, Shri Dharmendra
Prasad, Shri Ravi Shankar
Prasada, Shri Jitin
Purandeswari, Shrimati Daggubati
Purohit, Shri Pradeep
*Rai, Shri Nityanand
*Rajender, Shri Eatala
Rajput, Shri Mukesh
Ram, Shri Vishnu Dayal
Ramesh, Dr. C. M.
⁎Ranaut, Sushri Kangna
*Rani, Dr. Gumma Thanuja
Rao, Shri Daggumalla Prasada
Rao, Shri Madhavaneni Raghunandan
Rathva, Shri Jashubhai Bhilubhai
Rawat, Dr. Manna Lal

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Trivendra Singh

*Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

*Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P. V. Midhun

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupala, Shri Parshottambhai

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Bunty Vivek

*Sahu, Shri Tokhan

Saikia, Shri Dilip

Sangwan, Dr. Rajkumar

Sarangi, Shrimati Aparajita

Savara, Dr. Hemant Vishnu

Sehrawat, Shrimati Kamaljeet

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shri Avimanyu

Shabari, Dr. Byreddy

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajyalaxmi

Shambhavi, Shrimati

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Alok

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shrimati Manju

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shettar, Shri Jagadish

*Shihora, Shri Chandubhai Chhaganbhai

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Kali Charan

Singh, Shri Karan Bhushan

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh *alias* Lalan

Singh, Shri Rao Rajendra

Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shrimati Himadri

Sivanath, Shri Kesineni

Solanky, Shri Mahendra Singh

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Tangella Uday

Subba, Dr. Indra Hang

Subhadarshini, Shrimati Anita

Suklabaidya, Shri Parimal
Suman, Dr. Alok Kumar
Surya, Shri Tejasvi
Swaraj, Ms. Bansuri
Tamta, Shri Ajay
Tanwar, Shri Kanwar Singh
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Tatkare, Shri Sunil Dattatrey
Tenneti, Shri Krishna Prasad
Thakur, Shri Anurag Singh
Thakur, Shri Devesh Chandra
Thakur, Shri Gopal Jee
Thakur, Shri Vivek
Thakur, Shrimati Savitri
*Tigga, Shri Manoj
*Tisso, Shri Amarsing

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Shivmangal Singh
*Uikey, Shri Durga Das
Valmiki, Shri Anoop Pradhan
Varma, Shri Bhupathi Raju Srinivasa
Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai
Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy
Verma, Shri Rajesh
Wadiyar, Shri Yaduveer
Wagh, Shrimati Smita Uday
*Waikar, Shri Ravindra Dattaram
Wankhede, Dr. Lata

Yadav, Shri Ashok Kumar
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Shri Dinesh Chandra
Yadav, Shri Giridhari

NOES

Ahirwar, Shri Narayandas
Ahmed, Shrimati Sajda
Akoijam, Dr. Angomcha Bimol
Anand, Shri D. M. Kathir
*Annadurai, Shri C. N.
Antony, Shri Anto
Anwar, Shri Tariq
Arthur, Shri Alfred Kanngam S.
Azad, Shri Kirti
Baalu, Shri T. R.
Badal, Shrimati Harsimrat Kaur
*Bandyopadhyay, Shri Sudip
Banerjee, Shri Abhishek
Banerjee, Shri Kalyan
*Banerjee, Shri Prasun
Banerjee, Shrimati Rachna
Barve, Shri Shyamkumar Daulat
Basheer, Shri E. T. Mohammed
*Basunia, Shri Jagadish Chandra Barma
Behanan, Shri Benny
Beniwal, Shri Hanuman

*Bhadauria, Shri Anand

Bhagare, Shri Bhaskar Murlidhar

Bhagat, Shri Sukhdeo

Bharti, Shrimati Misha

Bhowmick, Shri Partha

Bose, Shri Sunil

Brahamchari, Shri Satpal

C., Shri Robert Bruce

Chakraborty, Shri Arup

Channi, Shri Charanjit Singh

*Chaudhary, Shri R. K.

*Chaudhary, Shri Ram Prasad

Chaudhry, Shri Varun

Chavan, Shri Vasantrao Balwantrao

*Chhatrapati, Shri Shahu Shahaji

Chhotelal, Shri

Choudhary, Sushri Iqra

Choudhury, Shri Isha Khan

D., Shri Malaiyarasan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Desai, Shri Anil Yeshwant

Deshmukh, Shri Sanjay Uttamrao

Dhanorkar, Shrimati Pratibha Suresh

Dinesh, Dr. Bachhav Shobha

Dohare, Shri Jitendra Kumar

Eden, Shri Hibi

*Fernandes, Captain Viriato

Gaddam, Shri Vamsi Krishna

*Gaikwad, Prof. Varsha Eknath

George, Adv. Francis
Ghosh, Sushri Sayani
Ghubaya, Shri Sher Singh
Gogoi, Shri Gaurav
Gopinath, Shri K.
Haldar, Shri Bapi

∗Hitnal, Shri K. Rajashekar Basavaraj

Hooda, Shri Deepender Singh
Hussain, Md. Rakibul
Indora, Shri Kuldeep
Jagathratchakan, Shri S.
*Jamir, Shri S. Supongmeren
*Jatav, Shri Bhajan Lal
*Jatav, Shrimati Sanjna
Jawed, Dr. Mohammad
Jothimani, Sushri S.
*K., Shri Navaskani
K., Shri Subbarayan
*Kale, Dr. Kalyan Vaijinathrao
Kale, Shri Amar Sharadrao
Kalge, Dr. Shivaji Bandappa
Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi
Kaswan, Shri Rahul
Kavya, Dr. Kadiyam
∗Khan, Shri Abu Taher
Khandre, Shri Sagar Eshwar
Kherwal, Shri Kalipada Saren
Kirsan, Dr. Namdeo

*Kolhe, Dr. Amol Ramsing

Kumar, Shri Manoj

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Babu Singh

Lal, Shri Kishori

Lodhi, Shri Ajendra Singh

M. S., Shri Tharaniventhan

Madhur, Shri Utkarsh Verma

*Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

*Mal, Shri Asit Kumar

Maliah, Shrimati June

*Mallikarjun, Dr. Prabha

Mani, Shri A.

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

*Masood, Shri Imran

Meena, Shri Harish Chandra

*Meena, Shri Murari Lal

Meet Hayer, Shri Gurmeet Singh

Mehdi, Shri Aga Syed Ruhullah

Mhatre, Shri Balya Mama Suresh Gopinath

*Mitali, Shrimati Bag

Mohibbullah, Shri

Mohite-Patil, Shri Dhairyasheel Rajsinh

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

*Munda, Shri Kali Charan

Naik, Shri G. Kumar

Nehru, Shri Arun

*Ola, Shri Brijendra Singh

Owaisi, Shri Asaduddin

P., Dr. Ganapathy Rajkumar

Padavi, Adv. Gowaal Kagada

*Padole, Dr. Prashant Yadaorao

*Pandey, Shri Sanatan

Parambil, Shri Shafi

Parkash, Shri Jai

Patel, Shri Naresh Chandra Uttam

Patel, Shri Shreyas M.

Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar

Pathan, Shri Yusuf

*Patil, Shri Vishaldada Prakashbapu

Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar

Porika, Shri Balram Naik

*Prakash, Adv. Adoor

*Prakash, Shri K. E.

Prasad, Dr. M. K. Vishnu

Prasad, Shri Awadhesh

*Prasad, Shri Sudama

Premachandran, Shri N. K.

*Punia, Shri Tanuj

R., Kumari Sudha

R., Shri Sachithanantham

*Radhakrishnan, Shri K.

*Raghuveer, Shri Kunduru

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Rajeev

Raja, Shri A.

Rajbhar, Shri Ramashankar

Ram, Shri Amra

Randhawa, Shri Sukhjinder Singh

Ranjan, Shri Rajesh

*Rathor, Shri Rakesh

*Ravi, Dr. Mallu

*Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Chamala Kiran Kumar

Reddy, Shri Ramasahayam Raghuram

Rehman, Shri Zia Ur

Roat, Shri Rajkumar

S., Shri Matheswaran V.

S., Shri Murasoli

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

Sangma, Shri Saleng A.

Sarkar, Dr. Sharmila

*Saroj, Adv. Priya

Saroj, Shri Pushpendra

Sawant, Shri Arvind Ganpat

Sayeed, Shri Hamdullah

Selvaganapathi, Shri T. M.

*Selvam, Shri G.

*Senthil, Shri Sasikanth

Shakya, Shri Devesh

Shekhar, Adv. Chandra

*Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Sushri Praniti Sushilkumar

*Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Raja Ram

Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shri Ujjwal Raman

Singh, Shri Virendra

*Sonwane, Shri Bajrang Manohar

Sreekandan, Shri V. K.

Srikumar, Dr. Rani

*Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri Kodikunnil

Syngkon, Dr. Ricky A. J.

Tewari, Shri Manish

*Thakor, Shrimati Geniben Nagaji

Thangapandian, Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

*Thirumaavalavan, Dr. Thol

Tukaram, Shri E.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

V., Shri. Selvaraj

Vadra, Shrimati Priyanka Gandhi

Vaiko, Shri Durai

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanth, Shri Vijayakumar *Alias* Vijay

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Lalji

*Verma, Shri Ram Shiromani

Vira, Shrimati Ruchi

Waje, Shri Rajabhau Parag Prakash

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Wankhade, Shri Balwant Baswant

*Warring, Shri Amrinder Singh Raja

Yadav, Shri Aditya

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra